संख्या-68/2016/542/22-2-2016-17(247)/2013

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 जून, 2016

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्व बन्दी रामबाबू पुत्र श्री लल्लू निवासी जनपद-जालौन वर्तमान-झांसी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3265/पर-3(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी, रामबाबू पुत्र श्री लल्लू निवासी ग्राम व थाना-कलिया जनपद-जालौन हाल पता-मौ0 इतवारीगंज थाना-कोतवाली, जिला-झांसी का निवासी है। शराब पीने के लिए पत्नी से रूपये मांगने पर रूपये देने से मना करने के कारण बन्दी ने दिनांक 28-06-1995 की सायं लगभग 05-30 बजे अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल छिडक कर आग लगा दी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-311/1995 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी द्वारा दिनांक 17-02-1999 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.01.2016 तक 20 वर्ष 04 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 26 वर्ष 04 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा शराब पीने के लिए पत्नी से रूपये मांगने पर रूपये देने से मना करने के कारण बन्दी ने दिनांक 28-06-1995 की सायं लगभग 05-30 बजे अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल छिडक कर आग लगा दी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी रामबाबू पुत्र श्री लल्लू, निवासी जनपद-जालौन, वर्तमान-जनपद-झांसी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामबाबू (बन्दी संख्या-6317) पुत्र श्री लल्लू निवासी जनपद- जालौन, वर्तमान-जनपद-झांसी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-68/2016/542(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-झांसी ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-68/2016/542@22-2-2016-17(247)/2013
दिनांक 28 जून, 2016 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी रामबाबू (बन्दी संख्या-6317) पुत्र श्री लल्लू निवासी ग्राम व थाना-कलिया जनपद-जालौन हाल पता-मौ0 इतवारीगंज थाना-कोतवाली, जिला-झांसी का निवासी है। शराब पीने के लिए पत्नी से रूपये मांगने पर रूपये देने से मना करने के कारण बन्दी ने दिनांक 28-06-1995 की सायं लगभग 05-30 बजे अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल छिडक कर आग लगा दी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-311/1995 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी द्वारा दिनांक 17-02-1999 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.01.2016 तक 20 वर्ष 04 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 26 वर्ष 04 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा शराब पीने के लिए पत्नी से रूपये मांगने पर रूपये देने से मना करने के कारण बन्दी ने दिनांक 28-06-1995 की सायं लगभग 05-30 बजे अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल छिडक कर आग लगा दी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।